

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती।

पत्रांक- 259 / जि0वि0से0प्रा0 / श्रावस्ती

दिनांक 12.09.2022

विज्ञप्ति


राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद श्रावस्ती में **लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम** प्रारम्भ किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में जनपद श्रावस्ती में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल का चयन किया जाना है।

क्र0सं0	पदों का नाम	पदों की संख्या
1	चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल	01
2	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल	01
3	असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल	02

**उक्त चयन 02 वर्ष की मियाद के लिए किया जायेगा।** उक्त अवधि में चयनित अधिवक्ता अपनी निजी प्रेक्टिस नहीं कर सकेंगे। चयनित अधिवक्ता प्रतिमाह एक मुश्त रिटेनर फीस नालसा स्कीम के अन्तर्गत दी जायेगी।


उक्त चयन निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा विनियमन 2010 की नियमावली के आलोक में किया जायेगा। इच्छुक आवेदनकर्ता संलग्नक फार्म एवं घोषणापत्र दिनांक 13.09.2022 की सायं 05:00 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती कार्यालय में जमा करना था। पत्रांक सं0 3324 / एसएलएसए-99 / 2019(ऋ / हैदर) दिनांकित 08.09.2022 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आलोक में **उक्त तिथि 15.09.2022 की सायं 05:00 बजे तक विस्तारित की जाती है।** इच्छुक आवेदक अपना आवेदन नियत तिथि तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत/अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र के प्रारूप के लिये जनपद न्यायालय की वेबसाइट [www.districts.ecourts.gov.in/shravasti](http://www.districts.ecourts.gov.in/shravasti) माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) एवं माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट [www.nalsa.gov.in](http://www.nalsa.gov.in) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीय

  
(गौरव कुमार श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष,  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण /  
जनपद न्यायाधीश,  
C.A.S.A./Shrava 88  
श्रावस्ती।

1. प्रस्तुत नोटिस मय फार्म, गाइडलाइन, मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोशियेशन के नोटिस बोर्ड तथा केन्द्रीय नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये।
2. उक्त विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में जरिए जिला सूचनाधिकारी प्रेषित कराई जाये।
3. उक्त विज्ञप्ति जनपद न्यायालय श्रावस्ती के कम्प्यूटर अनुभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये की प्रस्तुत नोटिस, फार्म एवं गाइडलाइन को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चत करे।

भवदीय

  
(मृत्युंजय श्रीवास्तव)  
सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
श्रावस्ती।

संलग्नक- यथोक्त।